आयोजनागत
संख्या–101 / प्रा0शि0 / 2005

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

प्राचार्य,
जी0बी0 पन्त इंजीनियरिंग कालेज,
घुड़दौड़ी, पौड़ी।

(तकनीकी) शिक्षा अनुभाग–8 देहरादून दिनांक 14 फरवरी,2005

विषय– जी0बी0 पंत इंजीनियरिंग कालेज, घुड़दौड़ी, पौड़ी में प्रशासनिक भवन हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपयुक्त विषयक आपके पत्रांक –816 / लेखा / 2004–05 दिनांक 7–1–2005 तथा शासनादेश संख्या–374 / प्रा0शि0 / 2004दिनांक 28–8–2004, के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय जी0बी0 पन्त इंजीनियरिंग कालेज, घुडदौड़ी, पौड़ी में निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन हेतु अनुमोदित लागत रू0 358.56 लाख के सापेक्ष अब तक स्वीकृत कुल धनराशि रू0 238.67 लाख को समायोजित करते हुए देय अवशेष धनराशि रू0 119.89 लाख में से इस वित्तीय वर्ष 2004–05 में रू0 35.00 लाख (रूपये पैंतीस लाख मात्र) की धनराशि, शासनादेश संख्या– 358 / प्रा0शि0 / 2004 दिनांक 11–8–2004 द्वारा आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 565.00 लाख में से व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहां आवश्यक हो व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथासमय शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय।

3– निर्माण की गुणवत्ता के लिए कार्यदायी संस्था के अधिशासी अभियन्ता उत्तरदायी होगें।

4– निर्माण हेतु अनुदानित धनराशि का भुगतान जिलाधिकारी, पौड़ी द्वारा बिल प्रतिहस्ताक्षरी किये जाने के उपरान्त कोषाधिकारी पौड़ी द्वारा सीधे आपको कर दिया जायेगा। सम्बन्धित कोषागार बीजक एवं दिनॉक की सूचना शासन को उपलब्ध करायेंगे।

5– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरे शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी है, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

6– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन /मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

7– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

8– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

9– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

10– कार्य कराने से पूर्व समस्त स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्ववेता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

11– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

11(ए)– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग लाया जाए।

12– यदि स्वीकृत राशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हो, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, स्वीकृति राशि से अधिक कदापि न किया जाय।

13– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुदान संख्या –11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक – 2203 – तकनीकी शिक्षा – आयोजनागत – 00 – 112 – इंजीनियरी / तकनीकी कालेज तथा संस्थान –00–05– इंजीनियरिग कालेज घुडदौड़ी (पौड़ी)–20– सहायक अनुदान/ अशंदान/ राजसहायता के नामें डाला जायेगा।

14– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–398/वि0 अनु0–4/2005 दिनांक 11–2–2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1– महालेखाकार उत्तरांचल देहरादून।
2– निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तरांचल।
3– जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, पौड़ी।
4– निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
5– परियोजना प्रवन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, पौड़ी।
6– वित्त अनुभाग–4/ नियोजन अनुभाग।
7– राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनु सचिव।